प्रश्न-पत्र - 1:
वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रश्न

केस परिदृश्य।

डी लिमिटेड प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक का वित्तीय विवरण तैयार करती है। 31 मार्च 20X7 को समाप्त वर्ष हेतु राजस्व लेनदेन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी दी गई है।

(i) 1 अक्टूबर 20X6 को, डी लिमिटेड ने किसी ग्राहक को ₹1,21,000 में कोई उत्पाद बेचा। यह राशि 31 दिसंबर, 20X8 को देय है। डी लिमिटेड के लिए इस उत्पाद की विनिर्माण लागत ₹80,000 थी। ग्राहक को 31 दिसंबर 20X6 तक किसी भी समय उत्पाद वापस करने का अधिकार था, जिसके लिए उसे पूर्ण प्रतिदाय (रिफंड) मिलेगा। 1 अक्टूबर 20X6 को, डी लिमिटेड के पास विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ग्राहक द्वारा उत्पाद वापस किया जाएगा। ग्राहक द्वारा 31 दिसंबर 20X6 से पहले उत्पाद वापस नहीं किया गया, इसलिए ग्राहक का उत्पाद वापस करने का अधिकार समाप्त हो गया। 1 अक्टूबर 20X6 और 31 दिसंबर 20X6 दोनों को, उत्पाद का नकद विक्रय मूल्य ₹1,00,000 था। किसी भी बट्टा गणना में उपयोग हेतु प्रासंगिक वार्षिक दर 10% है।

(ii) 1 जुलाई 20X5 को डी लिमिटेड ने तीसरे पक्ष बी लिमिटेड को माल बेचने की व्यवस्था शुरू की। 30 जून 20X7 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि में सभी

बेचे जाने वाले माल की कीमत 100 रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई थी। हालांकि, यदि 30 जून 20X7 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि में बी लिमिटेड को बेचे जाने वाले उत्पाद की बिक्री 60,000 इकाइयों से अधिक होती है, तो सभी इकाइयों की बिक्री कीमत पूर्वव्यापी रूप से 90 रुपये प्रति मद निर्धारित की जाएगी।

31 मार्च, 20X6 को समाप्त नौ महीने की अवधि में बी लिमिटेड को कुल 20,000 इकाई उत्पाद बेचे गए थे और प्रति माह बिक्री की इस मात्रा में 30 जून, 20X7 से पहले कोई परिवर्तन होने अपेक्षा नहीं थी।

हालांकि, 31 मार्च, 20X7 को समाप्त वर्ष में, बी लिमिटेड को बेचा गया कुल उत्पाद 35,000 इकाई था और बी लिमिटेड के मौजूदा ऑर्डर के आधार पर, अनुमान को संशोधित किया गया था। डी लिमिटेड के निदेशकों का अनुमान था कि 30 जून, 20X7 को समाप्त दो वर्ष की अवधि में बी लिमिटेड को कुल 60,000 इकाई से अधिक की बिक्री हो जाएगी।

उक्त विवरण के आधार पर, प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न सं. 1 से 5 तक हेतु सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

1. 1 अक्टूबर, 20X6 को की गई बिक्री के संबंध में राजस्व किस तिथि को चिन्हित किया जाएगा और इसकी राशि कितनी होगी?

(क) 1 अक्टूबर, 20X6 को ₹1,21,000

(ख) 1 अक्टूबर, 20X6 को ₹1,00,000

(ग) 1 अक्टूबर, 20X6 को ₹80,000

(घ) 31 दिसम्बर, 20X6 को ₹1,00,000

2. वर्ष 20X6-20X7 में बिक्री के संबंध में मान्यता प्राप्त वित्त आय की राशि कितनी होगी?

(क) ₹5,000

(ख) ₹2,500

(ग) ₹10,000

(घ) ₹2,000

3. 1 अक्टूबर 20X6 को की गई बिक्री के संबंध में 31 मार्च 20X7 को व्यापार प्राप्य की राशि कितनी होगी?

(क) ₹1,21,000
(ख) ₹1,00,000
(ग) ₹1,02,500
(घ) ₹1,05,000

4. बी लिमिटेड के साथ की गई बिक्री व्यवस्था के संबंध में वर्ष 20X5-20X6 में चिन्हित राजस्व की राशि कितनी होगी?

(क) ₹20,00,000
(ख) ₹18,00,000
(ग) ₹55,00,000
(घ) ₹49,50,000

5. बी लिमिटेड के साथ की गई बिक्री व्यवस्था के संबंध में वर्ष 20X6-20X7 में चिन्हित राजस्व की राशि कितनी होगी?

(क) ₹35,00,000
(ख) ₹29,50,000
(ग) ₹55,00,000
(घ) ₹49,50,000

केस परिदृश्य II

मेसर्स एक्सवाईजेड एंड कंपनी एक लेखापरीक्षा फर्म है। अपनी लेखापरीक्षा के दौरान, फर्म को निम्नलिखित लेनदेन के लेखांकन में कठिनाई हो रही है, जिसकी वजह से वह आपकी मदद चाहती है:

(i) ए लिमिटेड ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए एक निश्चित लाभ पेंशन योजना शुरु की है। 31 मार्च, 20X7 को ए लिमिटेड के तुलन-पत्र में वर्तमान में 31 मार्च, 20X6 को अनुमानित शुद्ध देयता ₹18.75 करोड़ है। 31 मार्च, 20X7 को समाप्त वर्ष के लिए योजना से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं :

- बीमांकक द्वारा अनुमानित वर्तमान सेवा लागत 6 करोड़ रुपये बताई गई।
- 31 मार्च, 20X7 को ए लिमिटेड ने योजना में 7 करोड़ रुपये का अंशदान दिया और इस राशि को परिचालन व्यय के रूप में प्रभारित किया।
- 1 अप्रैल, 20X6 को उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड पर वार्षिक बाजार प्रतिफल 8% था।
- 31 मार्च, 20X7 को अनुमानित शुद्ध देयता बीमांकक द्वारा 20.5 करोड़ रुपये बताई गई थी।

अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया है।

(ii) 1 अप्रैल 2XX0 को, ई लिमिटेड ने 20 वर्ष के अनुमानित उपयोगी जीवन के साथ किसी गैर-चालू परिसंपत्ति का निर्माण कार्य पूरा किया। निर्माण की लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में दर्शाया गया और इसपर उचित मूल्यह्रास लगाया गया। ई लिमिटेड पर 31 मार्च 2X20 को उस साइट की मरम्मत कराने का कानूनी दायित्व है, जिस पर गैर-चालू परिसंपत्ति स्थित है। 31 मार्च 2X20 को इस मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत 2.5 करोड़ रुपये है। ई लिमिटेड के निदेशकों ने 31 मार्च, 2XX1 को ड्राफ्ट तुलन-पत्र में 0.125 करोड़ रुपये (1/20 x 2.5 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया है। किसी भी प्रासंगिक गणना में उपयोग करने हेतु उचित वार्षिक छूट दर 6% है और इस दर पर 20 वर्षों में देय 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 0.312 है।

उक्त विवरण के आधार पर, प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न सं. 6 से 10 तक हेतु सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

6. निश्चित लाभ पेंशन योजना के संबंध में वर्ष 20X6-20X7 के लिए लाभ एवं हानि विवरण में किए जाने वाले शुद्ध समायोजन की राशि कितनी है?

(क) वर्ष 20X6-20X7 के लाभ में 7 करोड़ रुपये वापस जोड़े गए

(ख) वर्ष 20X6-20X7 के लाभ से 6 करोड़ रुपये की कटौती

(ग) वर्ष 20X6-20X7 के लाभ से 0.5 करोड़ रुपये की कटौती

(घ) वर्ष 20X6-20X7 के लाभ से 1.5 करोड़ रुपये की कटौती

7. वर्ष 20X6-20X7 हेतु परिभाषित लाभ पेंशन योजना पर बीमांकिक लाभ/(हानि) की राशि कितनी है?

(क) ₹1.5 करोड़

(ख) ₹1.25 करोड़

(ग) ₹1 करोड़

(घ) ₹0.5 करोड़

8. वर्ष 2XX0-2XX1 में गैर-चालू परिसंपत्ति की पुनःस्थापन हेतु कितने का मूल प्रावधान किया जाना आवश्यक है?

(क) ₹0.78 करोड़

(ख) ₹0.125 करोड़

(ग) ₹0.039 करोड़

(घ) वर्ष 2XX0-2XX1 में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह वर्ष 2X19-2X20 का व्यय है।

9. पुनर्स्थापन प्रावधान के कारण प्रतिधारित आय में समायोजन की राशि कितनी होगी?

(क) ₹0.0468 करोड़

(ख) ₹0.0390 करोड़

(ग) ₹0.0392 करोड़

(घ) ₹0.125 करोड़

10. पुनर्स्थापन प्रावधान के कारण एक वर्ष की छूट की राशि कितनी होगी?

(क) ₹0.0468 करोड़

(ख) ₹0.0390 करोड़

(ग) ₹0.0392 करोड़

(घ) ₹0.125 करोड़

भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर'

11. भारतीय कंपनी एक्स लिमिटेड के पास ₹10,00,000 के वहन मूल्य वाली एक फ्रीहोल्ड भूमि है, जिसपर कर संबंधी उद्देश्यों के लिए मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है, लेकिन मुद्रास्फीति हेतु सूचीकृत (इंडेक्स्ड) किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार इस भूमि की सूचीकृत राशि (इंडेक्स्ड वैल्यू) और उचित मूल्य क्रमशः 15,00,000 रुपये और 22,00,000 रुपये है। आस्थगित कर की गणना हेतु ऐसी फ्रीहोल्ड भूमि के लिए कर आधार क्या होगा यदि:

(i) एक्स लिमिटेड इसे व्यापारिक उद्देश्य हेतु उपयोग करने के बाद अंततः व्यवसाय की स्लंप सेल के भाग के रूप में बेचना चाहती है

(ii) एक्स लिमिटेड भूमि को व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है न कि स्लंप सेल के आधार पर

(iii) एक्स लिमिटेड ने इस भूमि को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है और इसे व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है, न कि स्लंप सेल के आधार पर

(iv) एक्स लिमिटेड फ्रीहोल्ड भूमि हेतु पुनर्मूल्यांकन मॉडल का पालन करता है और इसे व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है न कि स्लंप सेल के आधार पर

क्षेत्राधिकार में लागू कर कानूनों के अनुसार, यदि फ्रीहोल्ड भूमि को व्यवसाय की स्लंप सेल के भाग के रूप में बेचा जाता है, तो इंडेक्सेशन लाभ नहीं मिलता है, लेकिन यदि फ्रीहोल्ड भूमि को व्यक्तिगत रूप से बेचा जाता है, तो इंडेक्सेशन लाभ उपलब्ध मिलता है।

भारतीय लेखा मानक 116 'लीज'

12. केस I

परिदृश्य 1: 'लास्ट माइल' एक समर्पित केबल है जो संस्था वाई के नेटवर्क को अंतिम ग्राहक के डिवाइस से जोड़ती है। इस केबल का उपयोग ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है। संस्था वाई एंड प्वाइंट का स्थान तय करती है और उसके पास लाइनों (समर्पित केबल) को बदलने का अधिकार है, हालाँकि लाइनों को बदलना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए बिना किसी संगत लाभ के अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। क्या यह व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में आएगी?

परिदृश्य 2: यदि संस्था वाई के लिए लाइनों को प्रतिस्थापित करना व्यावहारिक है और संस्था वाई को इस प्रतिस्थापन से लाभ होगा, तो क्या आपका उत्तर अलग होगा?

केस II

ग्राहक एक्स ने मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाली एक बड़ी केबल के भीतर तीन निर्दिष्ट, भौतिक रूप से अलग फाइबर का उपयोग करने के अधिकार हेतु एक उपयोगिता कंपनी, संस्था वाई के साथ 10 वर्ष का अनुबंध किया। ग्राहक ने फाइबर के प्रत्येक छोर को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर फाइबर का उपयोग करने का निर्णय लिया। संस्था वाई के पास अतिरिक्त फाइबर उपलब्ध हैं, लेकिन वह केवल मरम्मत, रखरखाव या खराबी जैसे कारण होने पर ही ग्राहक के फाइबर को प्रतिस्थापित कर सकता है। फाइबर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है। क्या यह व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत आती है?

केस III

ग्राहक एक्स, मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाली केबल से एक निर्दिष्ट मात्रा में क्षमता का उपयोग करने के अधिकार हेतु संस्था वाई के साथ 10 वर्ष का अनुबंध किया है। निर्दिष्ट मात्रा ग्राहक एक्स के केबल के भीतर तीन फाइबर

स्ट्रैंड की पूरी क्षमता का उपयोग करने के बराबर (केबल में समान क्षमता वाले कई फाइबर होते हैं) है। डेटा ट्रासमिशन का निर्णय संस्था वाई (यानी, संस्था वाई फाइबर का संचालन करती है, ग्राहक के ट्रैफ़िक को ट्रासमिट करने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाए, इसका निर्णय लेती है) लेती है। फाइबर का उपयोगी जीवन 15 वर्ष है।

क्या यह व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत आती है?

भारतीय लेखा मानक 41 'कृषि'

13. एबीसी लिमिटेड सेब से बने पेय पदार्थ बनाने के व्यवसाय में संलग्न है और उसे इस तरह के पेय पदार्थ बनाने हेतु बड़ी मात्रा में सेब की आवश्यकता है। सेब की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने सेब के बागों के मालिकों के साथ 3 वर्ष के पट्टे का अनुबंध किया है। पट्टे के अनुबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:

(1) अनुबंध 1: सेब के बाग का मालिक (यानी पट्टाकर्ता) सेब के पेड़ उगाता है ताकि सेब का उत्पादन हो सके। एबीसी लिमिटेड (यानी पट्टाधारक) सेब के बाग के मालिक को हर वर्ष एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, जिसे एबीसी लिमिटेड के विनिर्देशों के अनुसार सेब की खेती करना होता है। एबीसी लिमिटेड सेब की अपनी आवश्यकता को पूरा करने हेतु खुद सेब तोड़ने का कार्य करती है।

(2) अनुबंध 2: एबीसी लिमिटेड सेब की फसल के लिए सेब के पेड़ उगाने हेतु मालिक (यानी पट्टाकर्ता) से सेब का बाग ले लेता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेब एबीसी लिमिटेड की आवश्यकताओं के अनुसार हो। एबीसी लिमिटेड सेब के बागों के मालिक (यानी पट्टाकर्ता) को हर वर्ष एक निश्चित राशि का भुगतान करता है।

क्या दोनों मामलों में एबीसी लिमिटेड भारतीय लेखा मानक 41 के अनुसार कृषि कार्यकलाप में संलग्न है?

भारतीय लेखा मानक 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं'

14. एच लिमिटेड ने 20X1 में ₹10 लाख की लागत से एक गोदाम का निर्माण किया। गोदाम पहली बार 1 अप्रैल, 20X2 को एच लिमिटेड के उपयोग हेतु उपलब्ध हो गया। 29 अप्रैल, 20X6 को एच लिमिटेड ने पाया कि उसका गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया है। मई 20X6 की शुरुआत में, जांच करने पर पता चला कि यह क्षति गोदाम के निर्माण में संरचनात्मक दोष के कारण हुई है। यह दोष तब पता चला जब 27 अप्रैल 20X6 को समाप्त सप्ताह में भारी बारिश के बाद गोदाम की इमारत से बहुत अधिक रिसाव होने लगा। दोष का पता चलना हानि का संकेत है। इसलिए, एच लिमिटेड को 31 मार्च 20X6 को अपने गोदाम की प्रतिलब्धियोग्य राशि का अनुमान लगाने की आवश्यकता थी। यह अनुमान ₹6,00,000 का था। दोष का पता लगाने से पहले, एच लिमिटेड ने गोदाम का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि पर उसके अनुमानित 30-वर्ष के उपयोगी जीवन पर शून्य अवशिष्ट मूल्य पर कर दिया था।

गोदाम में हुई दरार से बारिश का पानी रिसने से लगभग 1,00,000 रुपये (लागत मूल्य) मूल्य का माल क्षतिग्रस्त हो गया और बिक्री योग्य नहीं रहा। 31 मार्च, 20X6 तक पूरी क्षतिग्रस्त इन्वेंट्री बची हुई थी। एच लिमिटेड ने किसी भी नुकसान के लिए बीमा नहीं कराया है।

यह अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का लेखा-जोखा लागत मॉडल के तहत रखती है। 31 मार्च, 20X6 को समाप्त वर्ष हेतु एच लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय विवरणों को 28 मई, 20X6 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया था।

आपको करना है:

(i) 31 मार्च, 20X6 को समाप्त वर्ष हेतु एच लिमिटेड के लेखाबही में रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद की घटनाओं के प्रभावों को दर्ज करने के लिए लेखांकन प्रविष्टियाँ तैयार करें। कृपया कर प्रभाव को अनदेखा करें।

(ii) प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार उपरोक्त मामले में प्रकटीकरण आवश्यकता पर चर्चा करें।

(iii) यदि कोई संरचनात्मक दोष न होता तथा गोदाम को नुकसान 31 मार्च, 20X6 के बाद घटित किसी घटना के कारण होता तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?

भारतीय लेखा मानक 36 'परिसंपत्तियों की क्षति'

15. 31 मार्च, 20X1 को सी.जी.यू. की परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध समीक्षा की जा रही है। सी.जी.यू. की शुद्ध परिसंपत्तियों का वहन मूल्य 65 लाख रुपये है (किसी भी पुनर्गठन के प्रावधान को छोड़कर), तथा मान्यताप्राप्त परिसंपत्ति का शेष उपयोगी आर्थिक जीवन आठ वर्ष है।

31 मार्च, 20X1 को प्रबंधन द्वारा स्वीकृत बजट में 20X2 में होने वाली 3,50,000 रुपये की पुनर्गठन लागत शामिल है; पुनर्गठन से 20X3 से प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये की लागत की बचत होने की अपेक्षा है। 31 मार्च, 20X4 तक के तीन वर्षों के लिए औपचारिक बजट तैयार किए गए हैं। विकास दर शून्य मानी गई है, क्योंकि बाजार की स्थितियां बेहद प्रतिस्पर्धी हैं, और आगे वाले समय में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान इस प्रकार हैं:

वर्ष	पुनर्गठन प्रतिफल के साथ	पुनर्गठन प्रतिफल के बिना

	₹	₹
20X1-20X2	5,20,000	8,70,000
20X2-20X3	10,00,000	9,00,000
20X3-20X4	10,50,000	9,50,000
20X4-20X5	10,50,000	9,50,000
20X5-20X6	10,50,000	9,50,000
20X6-20X7	10,50,000	9,50,000
20X7-20X8	10,50,000	9,50,000
20X8-20X9	10,50,000	9,50,000

20X2 में, पुनर्गठन के बिना शुद्ध नकदी प्रवाह (₹8,70,000) पुनर्गठन के साथ शुद्ध नकदी प्रवाह (₹5,20,000) से पुनर्गठन लागत (₹3,50,000) की राशि से अधिक है।

भविष्य के नकदी प्रवाह (जिसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं है) को 4% की दर से छूट दी गई है। आसानी के लिए, यह मान लिया गया है कि नकदी प्रवाह प्रत्येक वर्ष के अंत में उत्पन्न होता है।

31 मार्च, 20X1 को हानि की गणना करें जब -

(i) पुनर्गठन लागत को 31 मार्च, 20X1 के वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

(ii) 31 मार्च, 20X1 के वित्तीय विवरणों में पुनर्गठन लागत को मान्यता नहीं दी गई है।

भारतीय लेखा मानक 38 'अमूर्त परिसंपत्ति'

16. एसएस लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 20X1-20X2 के दौरान निम्नलिखित लेनदेन किए हैं -

(i) 1 अप्रैल 20X1 को, एसएस लिमिटेड ने एम लिमिटेड की शुद्ध परिसंपत्तियां ₹13,20,000 में खरीदीं। एम लिमिटेड की पहचान योग्य शुद्ध संपतियों का उचित मूल्य ₹10,00,000 था। एसएस लिमिटेड का मानना है कि एम लिमिटेड के उत्पाद की लोकप्रियता के कारण, इस साख की आयु 10 वर्ष है।

(ii) 4 मई 2011 को एसएस लिमिटेड ने ए टीवी से म्यूजिक शो आयोजित करने के लिए 80,00,000 रुपये में और म्यूजिक शो से होने वाले राजस्व के 2% की वार्षिक फीस पर एक फ्रेंचाइजी खरीदी। फ्रेंचाइजी की अवधि 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है। म्यूजिक शो से होने वाला राजस्व वित्तीय वर्ष 20X1-20X2 के लिए ₹10,00,000 था। वित्तीय वर्ष 20X2-20X3 के लिए अनुमानित राजस्व ₹25,00,000 रुपये प्रति वर्ष है तथा उसके बाद शेष 3 वर्षों के लिए ₹30,00,000 प्रति वर्ष है।

(iii) 4 जुलाई 20X1 को, एसएस लिमिटेड को कॉपीराइट प्रदान किया गया, जिसके लिए एम लिमिटेड ने आवेदन किया था। वित्तीय वर्ष 20X1-20X2 के दौरान, एसएस लिमिटेड ने पेटेंट पंजीकृत करने हेतु कानूनी लागत पर ₹2,50,000 और एक प्रतियोगी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा चलाने के लिए ₹7,00,000 अतिरिक्त लागत वहन की। कॉपीराइट की आयु 10 वर्षों की है।

एसएस लिमिटेड, अधिग्रहण के वर्ष में एक पूर्ण वर्ष का परिशोधन लेते हुए, एसएलएम (सीधी रेखा विधि) आधार पर या प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक द्वारा अनुमत अधिकतम अवधि में किसी भी उचित आधार पर सभी अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन करने की लेखांकन नीति का पालन करता है।

आपको निम्नलिखित तैयार करना है:

(i) 31 मार्च 20X2 तक एसएस लिमिटेड तुलन-पत्र में अमूर्त अनुभाग को दर्शाने वाली एक अनुसूची, और

(ii) संबंधित व्ययों को दर्शाने वाली एक अनुसूची जो 20X1-20X2 को समाप्त वर्ष के लिए एसएस लिमिटेड के लाभ और हानि विवरण में दिखाई देगी।

भारतीय लेखा मानक 16 'परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण'

17. 1 अक्टूबर, 20X1 को, एक्सवाई लिमिटेड ने एक बिजली उत्पादन सुविधा का निर्माणकार्य पूरा किया। निर्माण की कुल लागत 2 करोड़ रुपये थी। यह सुविधा 1 अक्टूबर, 20X1 से उपयोग की जा सकती थी, लेकिन एक्सवाई लिमिटेड ने 1 जनवरी, 20X2 तक इस सुविधा का उपयोग नहीं किया। 1 अक्टूबर, 20X1 को सुविधा का अनुमानित उपयोगी जीवन 40 वर्ष था।

जिस क्षेत्राधिकार में एक्सवाई लिमिटेड काम करती है, वहां के कानूनी नियमों के अनुसार, बिजली उत्पादन सुविधाओं वाली भूमि को सुविधा के उपयोगी जीवन के अंत तक उसकी मूल स्थिति में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक्सवाई लिमिटेड पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए जानी जाती है और इसने पहले भी ऐसी कानूनी आवश्यकताएं न होने पर भी इसी तरह से भूमि को बनाने रखने का काम किया है। एक्सवाई लिमिटेड के निदेशकों ने अनुमान लगाया कि 40 वर्षों के समय में भूमि को बहाल करने की लागत (उस समय प्रचलित कीमतों के आधार पर) ₹1 करोड़ होगी। किसी भी छूट गणना में उपयोग करने हेतु एक प्रासंगिक वार्षिक छूट दर 5% है। जब वार्षिक छूट दर 5% है, तो 40 वर्षों में प्राप्त होने वाले ₹1 का वर्तमान मूल्य लगभग 0.142 है।

मार्च, 20X1 को समाप्त वर्ष के लिए एक्सवाई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में उपरोक्त घटना कैसे दर्ज की जाएगी, इसकी व्याख्या करें और दिखाएँ। संभावित भावी पुनर्वर्गीकरण निर्गम पर टिप्पणियों को अनदेखा करें।

भारतीय लेखा मानक 23 'ऋण लागत'

18. एक्स लिमिटेड ने 1 सितंबर, 20X1 को एक प्लांट (अर्हक परिसंपत्ति) का निर्माण शुरू किया, जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये है। इसके लिए, एक्स लिमिटेड ने कोई विशिष्ट ऋण नहीं लिया है, बल्कि यह सामान्य ऋण का उपयोग करना चाहता है, जिसकी भारित औसत लागत 11% है। 1 सितंबर, 20X1 से 31 मार्च, 20X2 की अवधि के दौरान कुल ऋण लागत 0.5 करोड़ रुपये थी।

अन्य प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं: (करोड़ रुपये में)

महीना	निर्माण की उपार्जित लागत	नकदी बहिर्वाह (प्रत्येक महीने के प्रारंभ में किया गया अग्रिम भुगतान)
सितम्बर	1.50	3.00
अक्टूबर	0.50	1.70
नवंबर	1.50	2.50
दिसंबर	0.50	—
जनवरी	1.80	1.00
फ़रवरी	0.70	—
मार्च	3.00	1.50

31 मार्च, 20X2 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्लांट की लागत पर पूंजीकृत की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी है?

भारतीय लेखा मानक 110 'समेकित वित्तीय विवरण'

19. 1 अप्रैल 20X1 को, ए लिमिटेड ने एस लिमिटेड की 80% शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण की तिथि पर एस लिमिटेड की शेयर पूंजी और

रिजर्व क्रमशः 5,00,000 रुपये और 1,25,000 रुपये थे। ए लिमिटेड ने 10,00,000 रुपये का प्रारंभिक नकद भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ए लिमिटेड ने 1.80 रुपये प्रति शेयर के वर्तमान बाजार मूल्य पर 1 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के साथ 2,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए।

यह भी सहमति हुई कि ए लिमिटेड तीन वर्ष बाद 5,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। ए लिमिटेड की पूंजी की लागत 10% है। निम्न में से प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्य 10% की दर से 1 रुपए के लिए उपयुक्त छूट कारक है-

पहले वर्ष : 0.91

दूसरे वर्ष : 0.83

तीसरे वर्ष : 0.75

शेयर और आस्थगित प्रतिफल को अभी तक ए लिमिटेड द्वारा दर्ज नहीं किया गया है।

31 मार्च, 20X3 तक ए लिमिटेड और एस लिमिटेड का तुलन-पत्र नीचे दिया गया है :

	ए लिमिटेड (₹ 000)	**एस लिमिटेड (₹ 000)**
गैर-चालू परिसंपत्ति:		
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	5,500	1,500
एस लिमिटेड में लागत पर निवेश	1,000	
चालू परिसंपत्ति:		
इन्वेंट्री	550	100

प्राप्तियां	400	200
नकद	200	50
	7,650	1,850
इक्विटी:		
शेयर पूंजी	2,000	500
प्रतिधारित आय	1,400	300
	3,400	800
गैर-चालू देनदारियां	3,000	400
चालू देनदारियां	1,250	650
	7,650	1,850

अन्य जानकारी:

(i) अधिग्रहण की तिथि पर, एस लिमिटेड के प्लांट का उचित मूल्य उसके बही मूल्य से ₹2,00,000 अधिक था। इस तिथि पर प्लांट का उपयोगी जीवन पाँच वर्ष का बचा हुआ था;

(ii) समेकित साख ₹2,58,000 तक क्षतिग्रस्त हो गई है; तथा

(iii) ए लिमिटेड ग्रुप, गैर-नियंत्रक ब्याज का मूल्यांकन उचित मूल्य पद्धति का उपयोग करके करता है। अधिग्रहण की तिथि पर, 20% गैर-नियंत्रक ब्याज का उचित मूल्य ₹3,80,000 था।

आपको 31 मार्च, 20X3 तक ए लिमिटेड का समेकित तुलन-पत्र तैयार करना आवश्यक है। (समेकित तुलन-पत्र पर खाते के लिए नोट्स आवश्यक नहीं है)

भारतीय लेखा मानक 111 'संयुक्त समझौता'

20. पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड ने 12 मंजिलों वाली एक इमारत खरीदने के लिए एक संविदात्मक समझौता किया है, जिसे वे अन्य कंपनियों को पट्टे पर देंगे। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड प्रत्येक पाँच मंजिल पट्टे पर देने के लिए अधिकृत हैं। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड अपने-अपने फ्लोर से संबंधित सभी निर्णय स्वतः ले सकते हैं और उन फ्लोर से होने वाली सभी आय अपने पास रख सकते हैं। शेष दो मंजिलों का प्रबंधन संयुक्त रूप से किया जाएगा - इन दो मंजिलों से संबंधित सभी निर्णयों पर पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड के बीच सर्वसम्मति से सहमति होनी चाहिए, जो इन दो मंजिलों के संबंध में होने वाले शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटे को समान रूप से साझा करेंगे, यानी उन दोनों के बीच शुद्ध परिसंपत्ति का अधिकार है। परिसंपत्ति को पट्टे पर देना प्रासंगिक गतिविधि माना गया है।

यह समझौता संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम है?

सुझाए गए उत्तर

केस परिदृश्य I का उत्तर

1. **विकल्प (घ):** 31 दिसंबर' 20X6 को ₹1,00,000

2. **विकल्प (ख):** ₹2,500

3. **विकल्प (ग):** ₹1,02,500

1-3 के लिए कारण: भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अंतर्गत, 1 अक्टूबर 20X6 को राजस्व को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि उस तिथि पर क्षतिपूर्ति परिवर्तनशील है और परिवर्तनीय क्षतिपूर्ति की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

हालाँकि, 1 अक्टूबर 20X6 को 80,000 रुपये को इन्वेंट्री से हटा दिया जाएगा और 'परिसंपत्ति वसूली के अधिकार' के रूप में शामिल किया जाएगा।

₹1,00,000 का राजस्व (दो वर्षों में प्राप्त होने वाले ₹121,000 का वर्तमान मूल्य) 31 दिसंबर, 20X6 को मान्यता प्राप्त है, जब संभावित रिटर्न के बारे में अनिश्चितता हल हो जाती है।

उसी दिन, 'परिसंपत्ति की वसूली का अधिकार' अमान्य कर दिया जाएगा तथा उसे बिक्री लागत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

डी लिमिटेड 31 मार्च 20X7 को समाप्त वर्ष में ₹2,500 (₹1,00,000 x 10% x 3/12) की वित्त आय भी मान्यता देगा।

31 मार्च, 20X7 को डी लिमिटेड ₹1,02,500 (₹1,00,000 + ₹2,500) का व्यापार प्राप्य चिन्हित करेगा।

4. **विकल्प (क):** ₹20,00,000
5. **विकल्प (ख)** : ₹29,50,000

4 और 5 के लिए कारण

ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि यह दो वर्ष की अवधि में बिक्री की मात्रा पर निर्भर करता है। हालाँकि, डी लिमिटेड परिणाम का ठीक से अनुमान लगा सकता है और यह कि वॉल्यूम छूट सीमा से अधिक नहीं (9 महीनों के लिए बिक्री: 20,000 x 24/9 = 53,333) होगी। 31 मार्च, 20X6 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल राजस्व ₹100 प्रति इकाई पर दर्ज किया जाएगा और ₹20,00,000 (20,000 x ₹100) होगा।

मार्च, 20X7 को समाप्त वर्ष के दौरान, वास्तविक बिक्री मात्रा और अनुमान इस तरह बदलते हैं कि संचयी राजस्व अब 90 रुपये प्रति इकाई पर दर्ज किया जाना चाहिए। अब यह अपेक्षा की जाती है कि वॉल्यूम छूट सीमा से अधिक हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि 31 मार्च, 20X7 को इन वस्तुओं से संबंधित संचयी राजस्व 49,50, 000 रुपये ((20,000 + 35,000) x 90 रुपये) होगा।

31 मार्च, 20X7 को समाप्त वर्ष के लिए डी लिमिटेड द्वारा वास्तव में दर्ज किया जाने वाला राजस्व ₹29,50,000 (20X5-20X6 में ₹49,50,000 - ₹20,00,000 मान्यता प्राप्त) होगा।

केस परिदृश्य II का उत्तर

6. **विकल्प (ग):** वर्ष 20X6-20X7 के लाभ से 0.5 करोड़ रुपये की कटौती

कारण

लाभ और हानि विवरण में परिभाषित लाभ पेंशन योजना हेतु शुद्ध समायोजन की गणना

	₹ करोड़ में
मौजूदा सेवा लागत	6
ब्याज लागत (8% x 18.75)	1.5
लाभ या हानि हेतु त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रभारित योगदान	(7)
तो समायोजन समतुल्य है	0.5

7. विकल्प (ख): ₹1.25 करोड़

कारण

परिभाषित लाभ पेंशन योजना पर बीमांकिक लाभ/(हानि) की गणना

	₹करोड़ में
प्रारंभिक दायित्व	18.75
चालू सेवा लागत	6
ब्याज लागत	1.5
योजना में दिया गया अंशदान	(7)
	19.25
पुनः मापन पर बीमांकिक हानि (शेष आंकड़ा)	1.25
अंतिम दायित्व	20.5

8. विकल्प (क) : ₹0.78 करोड़

9. विकल्प (ग): ₹0.0392 करोड़

10. विकल्प (क): ₹0.0468 करोड़

कारण 8-10

पुर्नगठन प्रावधान हेतु समायोजन

	₹करोड़ में
मूलतः अभीष्ट प्रावधान (2.5 करोड़ x 0·312)	0.7800
एक वर्ष की छूट की समाप्ति (0.78 x 6%)	(0.0468)

पूंजीकृत लागत का एक वर्ष का मूल्यह्रास (0.78 x 1/20)	(0.0390)
मूल प्रावधान जो त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है	0.1250
अतः प्रतिधारित आय का समायोजन समतुल्य है	0.0392

11. भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 51 और 51क में कहा गया है कि आस्थगित कर देनदारियों और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाएगा जो उस विधि से उत्पन्न होंगे जिससे संस्था रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान करती है।

कुछ न्यायक्षेत्रों में, जिस विधि से कोई संस्था किसी परिसंपत्ति (देयता) की अग्रणीत राशि की वसूली (निपटान) करती है, वह इनमें से किसी एक या दोनों को प्रभावित कर सकती है:

(क) कर की वह दर जो उस समय लागू होगी जब संस्था परिसंपत्ति (देयता) की अग्रणीत राशि की वसूली (निपटान) कर लेगी; तथा

(ख) परिसंपत्ति (देयता) का कर आधार।

ऐसे मामलों में, संस्था कर दर और कर आधार का उपयोग करके आस्थगित कर देनदारियों और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मापती है जो वसूली या निपटान के अपेक्षित विधि के अनुरूप होती हैं।"

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संस्था की अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली या निपटान की विधि के संबंध में अपेक्षा हेतु प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यह विचार करना प्रासंगिक हो सकता है कि प्रबंधन की यह अपेक्षा कि संस्था स्लंप सेल या किसी अन्य माध्यम से परिसंपत्ति की वसूली करने में सक्षम होगी, में प्रासंगिक है।

तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, आमतौर पर यह माना जाता है कि कंपनी सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभप्रद तरीके से कार्य करेगी।

यदि किसी गैर-मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, तो संस्था को बिक्री के माध्यम से अग्रणीत राशि की वसूली के कर परिणामों पर विचार करते हुए डीटीए/डीटीएल को मापने की आवश्यकता होती है।

तदनुसार, वसूली या निपटान के बारे में प्रबंधन की अपेक्षा का समर्थन करने हेतु सहायक तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में धारणा के आधार पर, दिए गए मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की गणना के लिए कर आधार निम्नलिखित होगा:

(i) एक्स लिमिटेड इसका व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उपयोग करने के बाद अंततः इसे स्लम्प सेल के रूप में बेचना चाहती है

यदि तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि फ्रीहोल्ड भूमि को स्लम्प सेल के माध्यम से बेचा जाएगा, तो भूमि का कर आधार भूमि की वहन राशि के समान होगा, क्योंकि स्लम्प सेल के मामले में सूचीकरण लाभ नहीं मिलता है और इसलिए कोई अस्थायी अंतर नहीं होगा।

(ii) एक्स लिमिटेड भूमि को व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है न कि स्लम्प सेल के आधार पर

दिए गए परिदृश्य में, कंपनी भूमि को व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है, न कि स्लम्प सेल के आधार पर, जिससे कंपनी को सूचीकरण लाभ मिल सके।

इस प्रकार, भूमि का बुक बेस, यानी तुलन-पत्र में फ्रीहोल्ड भूमि की वहन राशि 10,00,000 रुपये है। भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 51क के अनुसार, कर आधार (वह राशि जो कर उद्देश्यों के लिए किसी भी कर योग्य आर्थिक

लाभ के विरुद्ध कटौती योग्य होगी जो संस्था को परिसंपत्ति की वहन राशि वसूल होने पर मिलेगी) 15,00,000 रुपये का अनुक्रमित मूल्य है क्योंकि कंपनी भूमि को व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है न कि स्लम्प सेल पर और इस प्रकार वह सूचीकरण लाभ पाना चाहती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ, वसूली के अधीन, 5,00,000 रुपये के कटौती योग्य कर अंतर पर स्थापित की जाएंगी।

(iii) एक्स लिमिटेड ने ऐसी भूमि को निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है और इसे व्यक्तिगत रूप से बेचना चाहती है, न कि स्लम्प सेल पर

भारतीय मानक ब्यूरो 40, निवेश संपत्ति के पैराग्राफ 56 के अनुसार, प्रारंभिक मान्यता के बाद, संस्था को भारतीय मानक ब्यूरो 16 के अनुसार लागत मॉडल की आवश्यकता के अनुसार अपनी सभी निवेश संपत्तियों को मापना होगा, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो भारतीय मानक ब्यूरो 105, बिक्री हेतु रखी गई गैर-चालू परिसंपत्ति और बंद परिचालन के अनुसार बिक्री के लिए रखे जाने के लिए मानदंडों को पूरा करती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो 40 उचित मूल्य मॉडल की अनुमति नहीं देता है। तदनुसार, निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत फ्रीहोल्ड भूमि को लागत पर मापा जाएगा।

इस प्रकार, भूमि का बुक बेस, यानी तुलन-पत्र में फ्रीहोल्ड भूमि की वहन राशि 10,00,000 रुपये है। कंपनी भूमि को अलग-अलग बेचना चाहती है, न कि स्लंप सेल पर और इस प्रकार इंडेक्सेशन लाभ पाना चाहती है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 51क के अनुसार, कर आधार (वह राशि जो कर उद्देश्यों के लिए किसी भी कर योग्य आर्थिक लाभ के विरुद्ध कटौती योग्य होगी जो संस्था को परिसंपत्ति की वहन राशि वसूलने पर प्राप्त होगी)

15,00,000 रुपये का अनुक्रमित मूल्य है। तदनुसार, 5,00,000 रुपये के कटौती योग्य कर अंतर पर, आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ स्थापित की जाएँगी, जो वसूली के अधीन होंगी।

(iv) एक्स लिमिटेड फ्रीहोल्ड भूमि के लिए पुनर्मूल्यांकन मॉडल का पालन करती है और इसे अलग-अलग बेचना चाहती है, न कि स्लंप सेल पर। यदि एक्स लिमिटेड पुनर्मूल्यांकन मॉडल का पालन करता है, तो तुलन-पत्र में फ्रीहोल्ड भूमि की वहन राशि 22,00,000 रुपये होगी । इस प्रकार, भूमि का बुक बेस 22,00,000 रुपये है।

कंपनी भूमि को अलग-अलग बेचना चाहती है, न कि स्लंप सेल पर और इस तरह इंडेक्सेशन लाभ प्राप्त करना चाहती है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 51क के अनुसार, कर आधार (वह राशि जो कर उद्देश्यों के लिए किसी भी कर योग्य आर्थिक लाभ के विरुद्ध कटौती योग्य होगी जो संस्था को परिसंपत्ति की वहन राशि वसूलने पर प्राप्त होगी) 15,00,000 रुपये का इंडेक्स्ड मूल्य है। तदनुसार, 7,00,000 रुपये के कर योग्य अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर देयता स्थापित की जाएगी।

भारतीय लेखा मानक 16 के पैराग्राफ 39 के अनुसार, यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि होती है, तो वृद्धि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी और पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के मद के तहत इक्विटी में संचित किया जाएगा। तदनुसार, स्थगित कर देयता के प्रभाव को भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 57 और 61क के अनुसार अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जानी चाहिए।

12. केस I

परिदृश्य 1:

(i) भारतीय लेखा मानक 116 के पैराग्राफ ख13 के अनुसार, 'लास्ट माइल' जो एक समर्पित केबल है, एक चिन्हित की गई परिसंपत्ति है क्योंकि यह भौतिक रूप से अलग है।

(ii) संस्था वाई के पास प्रतिस्थापन का कोई मूल अधिकार नहीं हैं, क्योंकि उसके पास उपयोग की अवधि के दौरान वैकल्पिक परिसंपत्तियों को प्रतिस्थापित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है।

इस प्रकार, यह व्यवस्था या समझौता भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में आता है।

परिदृश्य 2:

यदि संस्था वाई के पास लाइनों को बदलने की व्यावहारिक क्षमता है और उसे ऐसे प्रतिस्थापन से लाभ होगा, तो संस्था वाई के पास मूल प्रतिस्थापन अधिकार हैं। ऐसे मामले में, 'लास्ट माइल केबल' के लिए यह व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में नहीं आएगी।

<u>केस II</u>

फाइबर अनुबंध में निर्दिष्ट हैं और भौति रूप से अलग हैं। इसलिए, पैराग्राफ ख13 और ख20 के अनुसार, उक्त तीन फाइबर चिन्हित की गई परिसंपत्ति हैं।

पैराग्राफ ख18 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया गया है कि, "यदि परिसंपत्ति ठीक से काम नहीं कर रही है या यदि कोई तकनीकी अपग्रेड है, तो मरम्मत और रखरखाव हेतु परिसंपत्ति को प्रतिस्थापित करने का आपूर्तिकर्ता का अधिकार या दायित्व ग्राहक को चिन्हित की गई परिसंपत्ति का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं करता है।"

इसके अलावा, पैराग्राफ ख27 में यह प्रावधान है कि हालांकि किसी परिसंपत्ति को संचालित करने या बनाए रखने जैसे अधिकार अक्सर परिसंपत्ति के कुशल उपयोग हेतु आवश्यक होते हैं, लेकिन उन्हें यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाए और वास्तव में वे इस बात पर निर्भर हो सकते हैं कि परिसंपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाए।

उपर्युक्त के अनुसार, चूंकि संस्था वाई इन तीन अलग-अलग फाइबरों को केवल मरम्मत, रखरखाव या खराबी के कारणों से ही प्रतिस्थापित कर सकती है, इसलिए यह उन्हें चिन्हित की गई परिसंपत्ति होने से नहीं रोकता है।

इसके अलावा, ग्राहक एक्स को 10 वर्ष तक चिन्हित किए गए फाइबर के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है क्योंकि उसके पास -

(क) उपयोग की अवधि यानी 10 वर्ष के दौरान चिन्हित किए गए फाइबर के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभों को प्राप्त करने का अधिकार; तथा

(ख) फाइबर के उपयोग के बारे में निर्णय लेते समय उसके उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार, यानी, उसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान फाइबर का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाए।

इसलिए, यह समझौता भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में आता है।

<u>केस III</u>

पैराग्राफ ख20 में विशेष प्रावधान है कि परिसंपत्ति की क्षमता या अन्य हिस्सा जो भौतिक रूप से अलग नहीं है (उदाहरण के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल का क्षमता वाला भाग) एक चिन्हित की गई परिसंपत्ति नहीं है, जब तक कि यह

परिसंपत्ति की सभी क्षमता का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस तरह ग्राहक को परिसंपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ के सभी हिस्से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। दिए गए मामले में, ग्राहक एक्स को प्रदान किया जाने वाला क्षमता भाग केबल की शेष क्षमता से भौतिक रूप से अलग नहीं है और केबल की सभी क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इस प्रकार, यह एक चिन्हित की गई संपत्ति नहीं है। इसके अलावा, संस्था वाई डेटा के ट्रांसमिशन संबंधी सभी निर्णय लेती है, (यानी, आपूर्तिकर्ता फाइबर को संचालित करता है, यह निर्णय लेता है कि ग्राहक के ट्रैफ़िक को ट्रांसमिट करने के लिए किन फाइबर का उपयोग किया जाए)।

इस प्रकार, अनुबंध में पट्टा शामिल नहीं है और इसलिए यह भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में नहीं आता है।

13. **<u>अनुबंध 1:</u>**

अनुबंध **1** के अनुसार, अनुबंध के **3** वर्षों के दौरान, एबीसी लिमिटेड केवल सेब के बागों से सेब निकलता है जबकि उसे उगाने का कार्य सेब के बागों के मालिकों (यानी पट्टेदार) द्वारा किया जाता है। चूंकि एबीसी लिमिटेड सेब के बागों में सेब उगाने में शामिल नहीं है और केवल जैविक परिसंपत्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसे भारतीय लेखा मानक **41** के अनुसार कृषि गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, एबीसी लिमिटेड भारतीय लेखा मानक **41** के अनुसार कृषि गतिविधि में शामिल नहीं है।

<u>अनुबंध 2:</u>

अनुबंध **2** के अनुसार, एबीसी लिमिटेड सेब के बाग लेता है और सेब के पेड़ों की खेती करता है ताकि उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार सेब मिल सके। चूंकि, यह जैविक परिवर्तन और जैविक परिसंपत्ति के इस्तेमाल का सक्रिय रूप से

प्रबंधन कर रहा है। इसलिए, एबीसी लिमिटेड इंड एएस **41** के अनुसार कृषि गतिविधि में संलग्न है।

14. (i) 31 मार्च, 20X6 की जर्नल प्रविष्टियाँ

	₹	₹
मूल्यह्रास व्यय खाता (डब्ल्यू.एन.1) नामे गोदाम या संचित मूल्यह्रास खाते में (31 मार्च 20X6 को समाप्त वर्ष हेतु मान्यता प्राप्त अतिरिक्त मूल्यह्रास व्यय, जो गोदाम के उपयोगी जीवन के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होता है)	19,608	19,608
हानि हानि खाता (डब्ल्यू.एन.2) नामे गोदाम या संचित मूल्यह्रास खाते में (31 मार्च, 20X6 को गोदाम के निर्माण में संरचनात्मक दोष पाए जाने के कारण चिन्हित की गई हानि)	2,47,059	2,47,059

(ii) (क) रिपोर्टिंग अवधि 20X5-20X6 के लिए **गोदाम को हुआ नुकसान एक समायोजन परिघटना है** (वर्ष 20X6-20X6 की समाप्ति के बाद हुई), क्योंकि इससे साक्ष्य मिलता है कि संरचनात्मक दोष रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद था। यह एक समायोजन परिघटना है, इस तथ्य के बावजूद कि दोष रिपोर्टिंग तिथि के बाद पता चला है।

गोदाम को हुए नुकसान के प्रभावों को वर्ष 20X5-20X6 की रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता दी गई है। पिछली अवधियों को समायोजित नहीं किया जाएगा क्योंकि वे वित्तीय विवरण पूरी

निष्ठा से तैयार किए गए थे (यानी उपयोगी जीवन का अनुमान, हानि संकेतकों का मूल्यांकन आदि) और पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं किया था।

(ख) वर्ष 20X5-20X6 के दौरान वर्षा जल के रिसाव के कारण इन्वेंट्री को 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ। यह 20X5-20X6 रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद घटित एक गैर-समायोजन परिघटना है क्योंकि 31 मार्च 20X6 को इन्वेंट्री अच्छी स्थिति में थी। इसलिए, वर्ष 20X5-20X6 में इसके लिए कोई लेखा-जोखा नहीं किया गया है।

एच लिमिटेड को 31 मार्च 20X6 वार्षिक वित्तीय विवरणों में **परिघटना की प्रकृति** (यानी वर्षा से इन्वेंट्री को नुकसान) और वित्तीय प्रभाव (अर्थात् ₹1,00,000 का नुकसान) के अनुमान का प्रकटीकरण करना होगा।

(iii) यदि गोदाम को नुकसान 31 मार्च 20X6 के बाद घटित किसी घटना के कारण हुआ था और ऐसा संरचनात्मक दोष के कारण न हो, **तो इसे रिपोर्टिंग अवधि 20X5-20X6 के अंत के बाद एक गैर-समायोजन घटना के रूप में माना जाएगा** क्योंकि गोदाम 31 मार्च 20X6 को अच्छी स्थिति में रहा होगा।

कार्य टिप्पण:

1. वर्ष 20X5-20X6 में लगाए जाने वाले अतिरिक्त मूल्यह्रास की गणना

एसएलएम के अनुसार वर्ष 20X5-20X6 के दौरान पहले से वसूला गया मूल मूल्यह्रास = ₹ 10,00,000 / 30 वर्ष = ₹ 33,333

20X4-20X5 के अंत में वहन मूल्य = 10,00,000 – (₹ 33,333 x 3 वर्ष) = ₹ 9,00,000

संशोधित मूल्यह्रास = 9,00,000 / 17 वर्ष = ₹ 52,941

वर्ष 20X5-20X6 में खाताबही में मान्यता प्राप्त अतिरिक्त मूल्यह्रास = ₹ 52,941 – ₹ 33,333 = ₹ 19,608

2. वर्ष 20X5-20X6 में हानि की गणना

वर्ष 20X5-20X6 के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किए जाने के बाद वहन मूल्य

= ₹9,00,000 - ₹52,941 = ₹8,47,059

गोदाम का प्रतिलब्धियोग्य मूल्य = ₹6,00,000

हानि = वहन मूल्य - प्रतिलब्धियोग्य मूल्य

= ₹8,47,059 - ₹6,00,000 = ₹2,47,059

15. निम्नलिखित दोनों स्थितियों में नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना:

(राशि ₹ में)

वर्ष	छूट उपादान	पुनर्गठन प्रतिफल के साथ		पुनर्गठन प्रतिफल के बिना	
		भावी शुद्ध नकदी प्रवाह	वर्तमान मूल्य	भावी शुद्ध नकदी प्रवाह	वर्तमान मूल्य
	(a)	(b)	(c)=(a)x(b)	(d)	(e)=(a)x(d)
20X1-20X2	0.962	5,20,000	5,00,000	8,70,000	8,36,000
20X2-20X3	0.925	10,00,000	9,25,000	9,00,000	8,32,000
20X3-20X4	0.889	10,50,000	9,33,000	9,50,000	8,45,000
20X4-20X5	0.855	10,50,000	8,98,000	9,50,000	8,12,000
20X5-20X6	0.822	10,50,000	8,63,000	9,50,000	7,81,000
20X6-20X7	0.790	10,50,000	8,30,000	9,50,000	7,51,000
20X7-20X8	0.760	10,50,000	7,98,000	9,50,000	7,22,000

20X8-20X9	0.730	10,50,000	7,67,000	9,50,000	6,94,000
उपयोग-मूल्य			65,14,000		62,73,000

31 मार्च, 20X1 को हानि की गणना इस आधार पर भिन्न होती है कि वित्तीय विवरणों में पुनर्गठन लागतों हेतु प्रावधान को मान्यता दी गई है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मान्यता हेतु भारतीय लेखा मानक 37 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है या नहीं।

(i) 31 मार्च' 20X1 को मान्यता प्राप्त पुनर्गठन लागत के लिए प्रावधान

यदि पुनर्गठन लागतों हेतु प्रावधान किया गया है, तो सी.जी.यू. का उपयोगी-मूल्य निर्धारित करने में पुनर्गठन लागत और लाभों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ, पुनर्गठन के बाद का उपयोगी-मूल्य (₹6,514,000) सी.जी.यू. के वहन मूल्य (₹6,500,000 में से पुनर्गठन प्रावधान ₹350,000 घटाएँ) से अधिक है। इसलिए, सी.जी.यू. की परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

मार्च, 2011 तक के वर्ष में वित्तीय विवरण निम्नलिखित प्रभार दर्शाते हैं।

पुनर्गठन प्रावधान	₹ 350,000
हानि	शून्य

(ii) 31 मार्च' 20X1 को मान्यता प्राप्त पुनर्गठन लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं है

यदि भारतीय लेखा मानक 37 द्वारा पुनर्गठन लागतों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो पुनर्गठन की लागत और लाभों को सीजीयू के उपयोगी-मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानों से अलग करना होगा। यहाँ, सीजीयू का वहन मूल्य (₹ 65,00,000) इसके पूर्व-पुनर्गठन उपयोगी-मूल्य मूल्य (₹62,73,000) से अधिक है। इसलिए, ₹2,27,000 की हानि हुई है।

मार्च, 20X1 तक के वर्ष में, वित्तीय विवरण निम्नलिखित प्रभार दर्शाते हैं:

पुनर्गठन प्रावधान	शून्य
हानि	₹2,27,000

16. (i) **एसएस लिमिटेड**

तुलन-पत्र (अमूर्त परिसंपत्ति से संबंधित उद्धरण)

31 मार्च 20X2 तक

	टिप्पण सं.	₹
परिसंपत्ति		
(1) गैर-चालू परिसंपत्ति		
अमूर्त परिसंपत्ति	1	69,45,000

(ii) **एसएस लिमिटेड**

लाभ एवं हानि का विवरण (उद्धरण)

31 मार्च 20X2 को समाप्त वर्ष के लिए

	टिप्पण सं.	₹
परिचालन से राजस्व		10,00,000
कुल राजस्व		
व्यय:		
परिशोधन व्यय	2	16,25,000
अन्य व्यय	3	7,20,000
कुल व्यय		

लेखा टिप्पण (उद्धरण)

1. **अमूर्त परिसंपत्ति**

		सकल ब्लॉक (लागत)			संचित परिशोधन			शुद्ध ब्लॉक	
		प्रारंभिक शेष ₹	जोड़ा ₹	अंतिम शेष ₹	प्रारंभिक शेष ₹	जोड़ा ₹	अंतिम शेष ₹	प्रारंभिक शेष ₹	अंतम शेष ₹
1.	साख* (डब्ल्यूएन1)	-	3,20,000	3,20,000	-	-	-	-	3,20,000
2.	फ्रेंचाइज़** (डब्ल्यूएन2)	-	80,00,000	80,00,000	-	16,00,000	16,00,000	-	64,00,000
3.	कॉपीराइट (डब्ल्यूएन3)	-	2,50,000	2,50,000	-	25,000	25,000	-	2,25,000
		-	85,70,000	85,70,000	-	16,25,000	16,25,000	-	69,45,000

*इंड एएस 36 के अनुसार, चाहे हानि का कोई संसूचन हो या न हो, किसी संस्था को व्यवसाय संयोजन में अर्जित साख की हानि हेतु वार्षिक रूप से जांच करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि साख का वार्षिक रूप से परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कोई हो तो यह वार्षिक हानि के अंतर्गत है।

**प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार, उपयोगी अनुबंध में सीमित कारक समय है, यानी 5 वर्ष, न कि उत्पन्न होने वाली कुल निश्चित राशि। इसलिए, अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोग को शामिल करने वाली गतिविधि द्वारा उत्पन्न राजस्व पर आधारित परिशोधन विधि अनुचित है और केवल समय के आधार पर परिशोधन लागू किया जा सकता है।

2.	**परिशोधन व्यय**		
	फ्रेंचाइज़ी (डब्ल्यूएन2)	16,00,000	
	कॉपीराइट (डब्ल्यूएन3)	25,000	16,25,000
3.	**अन्य व्यय**		

	कॉपीराइट पर कानूनी लागत	7,00,000	
	फ्रेंचाइज़ी के लिए शुल्क (10,00,000 x 2%)	20,000	7,20,000

कार्य टिप्पण:

		₹
(1)	**व्यवसाय के अधिग्रहण पर साख**	
	व्यवसाय अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई नकदी	13,20,000
	घटाया: अर्जित शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(10,00,000)
	साख	**3,20,000**
(2)	**फ्रेंचाइज़ी**	80,00,000
	घटाया: परिशोधन (5 वर्ष से अधिक)	(16,00,000)
	तुलन-पत्र में दिखाया जाने वाला शेष	**64,00,000**
(3)	**कॉपीराइट**	2,50,000
	घटाया: परिशोधन (एसएलएम के अनुसार 10 वर्ष से अधिक)	(25,000)
	तुलन-पत्र में दिखाया जाने वाला शेष	**2,25,000**

17. सुविधा का मूल्यह्रास उस तिथि से शुरु हो जाता है जिस दिन वह उपयोग के लिए तैयार होती है, न कि उस तिथि से जब उसका वास्तव में उपयोग शुरू होता है। इस मामले में, सुविधा का मूल्यह्रास 1 अक्टूबर, 20X1 से शुरु माना जाएगा।

हालांकि, एक्सवाई लि. पर भूमि को बहाल करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है, लेकिन उसके पिछले कार्यों और नीतियों के आधार पर ऐसा करना उसका दायित्व है।

ऐसे दायित्व को पूरा करने की राशि 14,20,000 रुपये होगी जो प्रत्याशित भावी पुनर्स्थापना व्यय (1,00,00,000 x 0.142) का वर्तमान मूल्य होगा।

31 मार्च, 20X2 को एक्सवाई लिमिटेड के तुलन-पत्र में गैर-चालू देयताओं के अंतर्गत प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाएगी।

31 मार्च, 20X2 को समाप्त वर्ष के लिए छूट की समाप्ति 35,500 रुपये (14,20,000 x 5% x 6/12) होगी।

छूट की समाप्ति को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में दिखाया जाएगा और अंतिम प्रावधान 14,55,500 रुपये (14,20,000 + 35,500) होगा।

प्रावधान की प्रारंभिक राशि गैर-चालू परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है, जो ₹2,14,20,000 (2,00,00,000 + 14,20,000) हो जाती है।

31 मार्च, 20X2 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में मूल्यह्रास शुल्क ₹2,67,750 (2,14,20,000 x 1/40 x 6/12) है।

गैर-चालू परिसंपत्तियों में शामिल अंतिम शेष ₹2,11,52,250 (2,14,20,000 - 2,67,750) होगा।

18. भारतीय लेखा मानक 23 के पैराग्राफ 14 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जिस सीमा तक कोई संस्था सामान्य रूप से निधि ऋण लेती है और उन्हें अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करती है, वह संस्था उस परिसंपत्ति पर व्यय पर पूंजीकरण दर लागू करके पूंजीकरण हेतु पात्र ऋण लागत की राशि निर्धारित करेगी। पूंजीकरण दर उस अवधि के दौरान बकाया संस्था के सभी ऋणों पर लागू ऋण लागतों की भारित औसत होगी। हालांकि, कोई संस्था इस गणना से विशेष रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए ऋणों पर लागू ऋण लागतों को बाहर रखेगी जब तक कि उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के लिए

आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी नहीं हो जाती हैं। किसी अवधि के दौरान किसी संस्था द्वारा पूंजीकृत ऋण लागतों की राशि उस अवधि के दौरान उसके द्वारा वहन की गई ऋण लागतों की राशि से अधिक नहीं होगी।

इस संदर्भ में, यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह के व्यय को उपार्जित लागतों या वास्तविक नकदी बहिर्वाहों पर आधारित होना चाहिए। इन दो विकल्पों के बीच अंतर करने के लिए, नीचे दोनों विकल्पों के आधार पर ऋण लेने की लागत की गणना दी गई है:

महीना	**उपार्जित लागत**	**औसत पूंजीगत व्यय**	**नकदी बहिर्वाह**	**औसत पूंजीगत व्यय**
सितम्बर	1.50	1.50x7/12 = 0.875	3.00	3.00x7/12=1.75
अक्टूबर	0.50	0.50x6/12 = 0.25	1.70	1.70x6/12 = 0.85
नवंबर	1.50	1.50x5/12 = 0.625	2.50	2.50x5/12 = 1.04
दिसंबर	0.50	0.50x4/12 = 0.17	-	-
जनवरी	1.80	1.80x3/12 = 0.45	1.00	1x3/12 = 0.25
फ़रवरी	0.70	0.70x2/12 = 0.12	-	-
मार्च	3.00	3.00x1/12 = 0.25	1.50	1.50x1/12 = 0.13
	9.50	2.74	9.70	4.02

यदि उपार्जित लागतों के आधार पर औसत पूंजीगत व्यय लिया जाता है, तो पूंजीकरण हेतु ऋण लागत 2.74 करोड़ x 11% = 0.30 करोड़ होगी। जबकि यदि नकदी प्रवाह के आधार पर औसत पूंजीगत व्यय लिया जाता है, तो पूंजीकरण के लिए ऋण लागत 4.02 करोड़ x 11% = 0.44 करोड़ होगी। इस

प्रकार, उपार्जित आधार और वास्तविक नकदी प्रवाह के आधार पर पूंजीकरण की जाने वाली ऋण लागत की राशि में बड़ा अंतर है।

इस संबंध में, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि अर्हक परिसंपत्ति पर व्यय में केवल वे व्यय शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप नकद भुगतान, अन्य परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या सब्याज देनदारियों की अनुमार्गण हुआ है। परिसंपत्ति के संबंध में प्राप्त किसी भी प्रगति भुगतान और अनुदान से व्यय घट (भारतीय लेखा मानक 20, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण देखें) जाता है। किसी अवधि के दौरान परिसंपत्ति की औसत वहन राशि, जिसमें पहले से पूंजीकृत ऋण लागत शामिल है, आम तौर पर उस अवधि में पूंजीकरण दर लागू होने वाले व्यय का एक उचित अनुमान है।

जहां नकद भुगतान किया गया है, लेकिन संबंधित लागत अभी तक अर्जित नहीं हुई है, वहां नकद भुगतान पर ब्याज देय हो जाता है। इसलिए, इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पूंजीकरण हेतु ब्याज की राशि निर्धारित करने पर विचार किया जाना चाहिए, बशर्ते कि भारतीय लेखा मानक 23 के पैराग्राफ 16 में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति हो। तदनुसार, वर्तमान मामले में, ब्याज की गणना उपार्जित लागतों के बजाय नकदी प्रवाह के आधार पर की जानी चाहिए। इसलिए, पूंजीकरण के लिए पात्र ब्याज की राशि 0.44 करोड़ रुपये होगी।

ध्यान देने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पैराग्राफ 14 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि किसी अवधि के दौरान किसी संस्था द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि, उस अवधि के दौरान उसके द्वारा वहन की गई ऋण लागत की राशि से अधिक नहीं होगी।

इस प्रकार, पूंजीकृत की जाने वाली ऋण लागत की राशि अवधि के दौरान किए गए कुल ऋण लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जोकि 0.5 करोड़ रुपये है।

19. ए लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी एस लिमिटेड का समेकित तुलन-पत्र।

31 मार्च 20X3 तक

विवरण	**₹ 000 में**
I. परिसंपत्ति	
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां	
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण (डब्ल्यूएन4)	7,120.00
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति – सद्भावना (डब्ल्यूएन3)	1,032.00
(2) चालू परिसंपत्तियां	
(i) इन्वेंटरी (550 + 100)	650.00
(ii) वित्तीय परिसंपत्तियां	
(क) व्यापार प्राप्य (400 + 200)	600.00
(ख) नकद और नकद समतुल्य (200 + 50)	250.00
कुल परिसंपत्ति	**9,652.00**

II. इक्विटी और देयताएं	
(1) इक्विटी	
(i) इक्विटी शेयर पूंजी (2,000 + 200)	2,200.00
(ii) अन्य इक्विटी	
(क) प्रतिधारित आय (डब्ल्यूएन6)	1190.85
(ख) प्रतिभूति प्रीमियम	160.00
(2) गैर-नियंत्रण ब्याज (डब्ल्यूएन5)	347.40
(3) गैर-चालू देयताएं (3,000 + 400)	3,400.00
(4) चालू देयताएं (डब्ल्यूएन8)	2,353.75
कुल इक्विटी और देयताएं	9,652.00

टिप्पणियाँ:

1. चूंकि प्रश्न में लेखा-टिप्पणियां तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लेखा-टिप्पणियों का कॉलम नहीं बनाया गया था।

2. यह माना गया है कि शेयर वर्ष 20X2-20X3 के दौरान जारी किए गए थे और प्रविष्टियां अभी तक नहीं की गई हैं।

कार्य टिप्पण:

1. अधिग्रहण तिथि यानी 1 अप्रैल, 20X1 पर खरीद मूल्य की गणना

	₹000 में
ए लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड को किया गया भुगतान	
नकद	1,000.00
इक्विटी शेयर (2,00,000 शेयर x ₹1.80)	360.00
आस्थगित प्रतिफल का वर्तमान मूल्य (₹5,00,000 x 0.75)	375.00
कुल प्रतिफल	1,735.00

2. अधिग्रहण की तिथि यानी 1 अप्रैल, 20X1 को शुद्ध परिसंपत्तियों यानी निवल मूल्य की गणना

	₹000s में
एस लिमिटेड की शेयर पूंजी	500.00
एस लिमिटेड का रिजर्व	125.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर उचित मूल्य की वृद्धि	200.00
अधिग्रहण की तिथि पर निवल मूल्य	825.00

3. अधिग्रहण की तिथि यानी 1 अप्रैल, 20X1 और 31 मार्च, 20X3 को साख की गणना

	₹000s में
क्रय प्रतिफल (डब्ल्यूएन1)	1,735.00

उचित मूल्य पर गैर-नियंत्रण ब्याज (जैसा कि प्रश्न में दिया गया है)	380.00
	2,115.00
घटाया: कुल परिसंपत्ति (डब्ल्यूएन2)	(825.00)
1 अप्रैल 20X1 तक साख	1,290.00
घटाया: हानि (जैसा कि प्रश्न में दिया गया है)	(258.00)
31 मार्च 20X3 तक साख	1,032.00

4. 31 मार्च 20X3 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की गणना

		₹000s में
ए लिमिटेड		5,500.00
एस लिमिटेड	1,500.00	
जोड़ा: शुद्ध उचित मूल्य लाभ		
अभी तक दर्ज नहीं किया गया 200 .00		
घटाया: मूल्यह्रास		
[(200/5) x 2] (80.00)	120.00	1,620.00
		7,120.00

5. 31 मार्च 20X3 तक अधिग्रहण के पश्चात के लाभ (साख पर हानि के समायोजन के बाद) और एनसीआई के मूल्य की गणना

	₹ 000 में	**₹ 000 में**
	एनसीआई	ए

	(20%)	लिमिटेड (80%)
अधिग्रहण की तिथि को शेष	380.00	शून्य
प्रतिधारित आय का अंतिम शेष 300.00		
घटाया: अधिग्रहण-पूर्व शेष (125.00)		
अधिग्रहण के बाद लाभ 175.00		
घटाया: अतिरिक्त मूल्यह्रास		
पीपीई पर [(200/5) x 2] (80.00)		
अधिग्रहण के बाद के लाभ में हिस्सेदारी 95.00	19.00	76.00
घटाया: साख पर हानि 258.00	(51.60)	(206.40)
	347.40	(130.40)

6. 31 मार्च 20X3 तक समेकित प्रतिधारित आय

	₹ 000 में
ए लिमिटेड	1,400.00
जोड़ा: एस लिमिटेड (डब्ल्यूएन5) के अधिग्रहण के बाद के हानि का हिस्सा	(130.40)
घटाया: आस्थगित प्रतिफल पर वित्त लागत (37.5 + 41.25) (डब्ल्यूएन7)	(78.75)
31 मार्च 20X3 तक प्रतिधारित आय	1,190.85

7. 31 मार्च 20X3 तक आस्थगित प्रतिफल के मूल्य की गणना

	₹000 में
1 अप्रैल 20X1 (डब्ल्यूएन1) को आस्थगित प्रतिफल का मूल्य	375.00

जोड़ा: वर्ष 20X1-20X2 के लिए वित्त लागत (375 x 10%)	<u>37.50</u>
	412.50
जोड़ा: वर्ष 20X2-20X3 के लिए वित्त लागत (412.50 x 10%)	<u>41.25</u>
31 मार्च 20X3 तक आस्थगित प्रतिफल	<u>453.75</u>

8. **31 मार्च 20X3 तक चालू देयता की गणना**

	₹000 में
ए लिमिटेड	1,250.00
एस लिमिटेड	650.00
31 मार्च 20X3 (डब्ल्यूएन7) तक आस्थगित प्रतिफल	<u>453.75</u>
31 मार्च 20X3 तक चालू देयता	<u>2,353.75</u>

20. भारतीय लेखा मानक 111 के पैराग्राफ 15-17 में कहा गया है कि संयुक्त संचालन एक संयुक्त समझौता है जिसके तहत समझौते पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों पर समझौते से संबंधित परिसंपत्तियों पर अधिकार तथा देनदारियों संबंधी दायित्व होते हैं। उन पक्षों को संयुक्त संचालक कहा जाता है।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम ऐसा संयुक्त समझौता है जिसके तहत समझौते पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को समझौते की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। उन पक्षों को संयुक्त उद्यमकर्ता कहा जाता है।

इसके अलावा, कोई भी संस्था यह आकलन करते समय निर्णय लेती है कि कोई संयुक्त समझौता संयुक्त संचालन है या संयुक्त उद्यम। संस्था को समझौते की

वजह से मिलने वाले अपने अधिकारों और दायित्वों पर विचार करके संयुक्त समझौते के प्रकार का निर्धारण करना चाहिए जिसको वह कर रही हैं। संस्था समझौते की संरचना और कानूनी रूप, संविदात्मक समझौते में पक्षों द्वारा सहमत शर्तों और, जब प्रासंगिक हो, अन्य तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके अपने अधिकारों और दायित्वों का आकलन करती है।

दिए गए मामले में, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड द्वारा लेखांकन निम्नानुसार होगा:

(i) पांच मंजिलें जिन पर पी लिमिटेड का नियंत्रण है

पी लिमिटेड द्वारा नियंत्रित पांच मंजिलों को पी लिमिटेड द्वारा भारतीय लेखा मानक 40, निवेश परिसंपत्ति के तहत निवेश परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसमें 'निवेश परिसंपत्ति' शब्द को ऐसी संपत्ति (भूमि या भवन - या भवन का हिस्सा - या दोनों) के रूप में परिभाषित किया है, जो (मालिक द्वारा या वित्तीय पट्टे के तहत पट्टेदार द्वारा) किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि:

(क) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में या प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए; या

(ख) कारोबार के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए।

(ii) पांच मंजिलें जिन पर क्यू लिमिटेड का नियंत्रण है

क्यू लिमिटेड द्वारा नियंत्रित पांच मंजिलों को क्यू लिमिटेड द्वारा भारतीय लेखा मानक 40 के अंतर्गत निवेश परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(iii) दो मंजिलें जिन्हें पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड संयुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं

पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित दो मंजिलों के लिए, संविदात्मक समझौते के अनुसार, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दोनों शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटे को समान रूप से साझा करेंगे यानी उन दोनों के पास समझौते की शुद्ध परिसंपत्तियों का अधिकार है। इस प्रकार, इन दो मंजिलों के संबंध में किया गया समझौता एक संयुक्त उद्यम है और पी लिमिटेड तथा क्यू लिमिटेड द्वारा इसका लेखा-जोखा तदनुसार तैयार किया जाएगा।